

# प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- [csalmdfo@rediffmail.com](mailto:csalmdfo@rediffmail.com) Phone/Fax :- (05962

पत्रांक 3924 / 12-1 दिनांक, 30/06/2020

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
अल्मोड़ा।

विषय :- विषय :- जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव से सेलाकोट काने रिखाढ़ से मेहरागाँव मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०- **FP/UK/Road/36930/2018**)।


संदर्भ :- आनलाईन प्राप्त प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित आनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 3 तक लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर निम्नानुसार बिन्दुवार ऑनलाईन महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Instead of Revenue land. Civil soyam land has been mention at section 2 (Legal status of forest land proposed for diversion) in Form A, Part II.	सिविल भूमि को ही Revenue land कहा जाता है। जिसे पार्ट -II के सैक्शन 2 में Revenue land अंकित किया गया
2	CA scheme, CA suitability certificate detail has not been uploaded as additional information in Form A, part II.	सी0ए0 प्रांकलन व सी0ए0 उपयुक्ता प्रमाण पत्र पार्ट-II के पैरा-13 में Additional information में अपलोड कर दिया है।
3	Tree mentioned is 426 in tree list uploaded as additional information at Para 13, however 347 tree mention at 4- (ii) in form part A II. please rectify it.	पार्ट-II में सिविल, वन पंचायत तथा आरक्षित वन भूमि के वृक्षों को ही अंकित किया गया है। वृक्षों की संख्या- 347 है। नाप भूमि के 79 वृक्षों की पार्ट-II में अंकित नहीं किये गये है। वृक्षों की लिस्ट Additional information में जो पूर्व में अपलोड की जा चुकी है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में प्रेषित।

भवदीय,  
  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,  
अल्मोड़ा।